समाहरणालय, बेगूसराय

(जिला निर्वाचन कार्यालय)

<u>मतदान/मतगणना एवं लेखन सामग्री आदि के क्रय हेतु अल्पकालीन निविदा</u>

विधान सभा आम निर्वाचन 2020 हेतु मतदान के लिए प्रयोग में आने वाले लेखन सामग्री, लिफाफा, पंजियों आदि का क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। वैसे निबंधित एवं सक्षम फर्म जो निर्धारित समय सीमा के अन्दर इन सामग्रियों को जिला निर्वाचन कार्यालय, बेगूसराय में आपूर्ति करने के इच्छुक हैं, वे दिनांक 21.08.2020 के अपराह्न 01:00 बजे तक मुहर बन्द लिफाफे में जिला निर्वाचन कार्यालय, बेगूसराय द्वारा निर्गत निविदा प्रपत्र में अपनी निविदा जिला निर्वाचन कार्यालय, बेगूसराय में दे सकते है। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले कोई भी निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा उसी दिन अपराह्न 02:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता फर्म के मालिक/प्राधिकृत प्रतिनिधि चाहे तो उपस्थित रह सकते है। निविदा द्विलिफाफा पद्धति के आधार पर आमंत्रित की गई है। निविदादाता फर्मो को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहर बन्द लिफाफा में समर्पित करना होगा। सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जाएगी। वैसे फर्म जो तकनीकी निविदा में सफल होगे उन्ही फर्मों की वित्तीय निविदा खोली जाएगी। निविदा के साथ निविदादाता को ₹50,000/-(पचास हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी, बेगूसराय के पदनाम से संबोधित होगा, संलग्न करना होगा। निविदा का प्रपत्र जिला निर्वाचन कार्यालय, बेगूसराय से ₹500.00 (पांच सौ) रूपये में कार्यालय अवधि में दिनांक 21.08.2020 के अपराह्न 12:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के संबंध में विशेष जानकारी जिला निर्वाचन शाखा, बेगूसराय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। साथ हीं बेगूसराय जिला के वेबसाईट <u>www.begusarai.bih.nic.in</u> पर भी देखा जा सकता है।

07/08/2020

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिला पदाधिकारी, बेगूसराय।

समाहरणालय, बेगूसराय
(जिला निर्वाचन शाखा)

निविदा प्रपत्र   प्रपत्र मूल्य – ₹500.00 (पांच सौ) रूपये (निविदा प्रपत्र सहित)

मतदान/मतगणना एवं लेखन सामग्री आदि का क्रय हेतु अल्पकालीन निविदा

(क) सामान्य शर्तें :–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में देना अनिवार्य है। दोनों लिफाफे को अलग से एक लिफाफे में डालकर इसे मुहरबंद कर समर्पित करना होगा।
2. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
3. बिना कोई कारण बताये निविदा रद्द करने, निविदा के शर्तों को संशोधित करने, विशेष परिस्थिति में निर्वाचन कार्यहित में एक से अधिक एजेंसियों से अथवा किसी भी एजेंसी से कार्य को कराने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
4. समय सीमा के अन्दर सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर संबंधित फर्म को काली सूची में दर्ज करते हुए निर्वाचन कार्य को बाधित करने के हेतु नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की गुणवता सुनिश्चित करना संबंधित आपूर्तिकर्त्ता की जिम्मेवारी होगी।
6. भुगतान के समय देय कर की राशि की कटौती श्रोत पर कर ली जायेगी।
7. भुगतान की कार्रवाई सामग्री की गुणवत्ता के आधार पर जाँचोपरांत की जाएगी।
8. कार्य आवंटन होने के पश्चात् जिला प्रशासन के आदेशानुसार निर्धारित स्थल एवं समय पर सामग्री उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए किसी प्रकार का मार्ग व्यय/मजदूरी अलग से देय नहीं होगा।
9. कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही दिया गया निविदा मान्य होगा।
10. निविदादाता को सामग्री आपूर्ति करने में COVID-19 के बचाव के संबंध में सरकार द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन करना होगा।

(ख) तकनीकी निविदा की शर्तें:–

1. फर्म को बिहार दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम (Bihar Shop & Establishment Act) के अर्न्तगत निबंधित होने का प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
2. फर्म को वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम (GST Act) के तहत निबंधित होने का प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति तथा माह मई 2020 तक का GST Return (3B) करने संबंधी साक्ष्य संलग्न करना होगा।
3. फर्म को आयकर संख्या (PAN No.) की स्वअभिप्रमाणित प्रति तथा तीन वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 का आयकर जमा करने संबंधी साक्ष्य संलग्न करना होगा।
4. फर्म को कम से कम बिहार के किसी जिला में एक चुनाव वर्ष में कार्य करने का अनुभव अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण–पत्र के रूप में कार्यादेश संलग्न करना होगा।
5. तकनीकी निविदा के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी, बेगूसराय के पक्ष में ₹50,000/–(पचास हजार) रूपये का राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा।
6. निविदादाता को अपने फर्म के संबंध में एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म किसी भी स्तर से काली सूची में दर्ज नहीं की गई है। शपथ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक के समक्ष लिया गया हो।
7. निविदादाता को पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।

(ग) वित्तीय निविदा की शर्तें:–

1. सभी सामग्रियों का दर सभी कर (Tax) सहित देना होगा। अलग से किसी प्रकार का कोई कर (Tax) देय नहीं होगा।
2. कार्यालय द्वारा क्रय किए गये निविदा प्रपत्र पर ही दर का उल्लेख अंक एवं शब्द में करना होगा।
3. उल्लिखित दर में किसी प्रकार का ओवर राइटिंग किए जाने पर उस मद का दर मान्य नहीं होगा

27/08/2020

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, बेगूसराय